उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0 एम0 ए0 नं0–53/2017–18

पुजा गुप्ता

वनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/8/19

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पूजा गुप्ता, पे0–किशोरी प्र0 गुप्ता वो प्रेमनाथ गुप्ता, पे0–स्व0 कार्तिक लाल साह निवासी पुराना वार्ड नं0–6 एवं नया वार्ड नं0–20 गंगटा खूर्द, थाना–गोड्डा नगर, अनुमंडल–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–46/2013 में पारित आदेश दिनांक–09.02.2016 के विरूद्ध अपील वाद दाखिल किया है।मामला संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत मौजा–गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–51 दाग नं0–1007 रकवा 00–05–00 धुर (पाँच कट्ठा) जमीन से उच्छेद करने से संबंधित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने आदेश दिनांक–09.02.2016 के द्वारा अपीलकर्त्ता पूजा गुप्ता को उक्त वादगत जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता का आवेदन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के क्रि0 मिस केश नं0–246/2005 के तथ्यों के जाँच के क्रम में राजस्व कर्मचारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि मौजा–गंगटा खूर्द के जमाबंदी सं0–51 की जमीन को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोड्डा ने स्वयं संज्ञान लेकर दिनांक–10.02.2006 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–46/2012–13 संधारित कर सभी विपक्षी को उच्छेदी के लिए नोटिश दिया गया। नोटिश पर सभी विपक्षी उपस्थित हुए और अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना–अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया एवं उनलोगों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा रेलवे एवं अडानी

के भू–अर्जन के मुआवजा भुगतान कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख को बिना सुने आदेश हेतु रख दिया गया। जब अपीलकर्त्ता अभिलेख का खोजबीन करने लगी तो पता चला कि पीछे की तिथि से पक्षकार के अनुपस्थिति में दिनांक–09.02.2016 की तिथि से आदेश पारित किया गया एवं आदेश की जानकारी अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता को नहीं दिया। आदेश की जानकारी अपीलकर्त्ता को दिनांक–09.07.2017 को प्राप्त हुआ और अपीलकर्त्ता ने अपने अधिवक्ता के द्वारा आदेश का अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए दिनांक–10.07.2017 को आवेदन किया गया। आदेश का अभिप्रमाणित प्रति उन्हें दिनांक–20.07.2017 को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन तैयार करने के लिए आदेश का अभिप्रमाणित प्रति अपने अधिवक्ता को दिया। अपील आवेदन तैयार कर अपील वाद दाखिल किया गया। अपीलकर्त्ता का आगे आवेदन है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 लागु नहीं होता है क्योंकि विषयगत जमीन नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत गोड्डा नगर पंचायत क्षेत्र में पड़ता है और नगर पंचायत, गोड्डा के द्वारा लगान लिया जा रहा है। इसलिए विषयगत जमीन पर अपीलकर्त्ता के दखल को अवैध नहीं कहा जा सकता है। वे और उनके पूर्वज विषयगत जमीन पर वर्ष 1934–35 से लगातार दखलकार है। चूँकि विषयगत जमीन वर्ष 1934–35 ई0 में अपीलकर्त्ता के नाना को वादगत जमाबंदी रैयत के वंशज से कुर्फा के द्वारा वासोवास के लिए प्राप्त हुआ था और प्रतिकूल प्रभाव से दखल के आधार पर अपीलकर्त्ता को हक भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने क्षेत्राधिकार से बाहर नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

मध्यागन्तुक पक्षकार का आवेदन है कि वादगत जमीन मध्यागन्तुक पक्षकार के पैतृक जमीन है, जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में देवान हाँसदा, प्रधान हाँसदा एवं हमबाई हाँसदा पेसरान रामका हाँसदा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत देवान हाँसदा एवं हमबाई हाँसदा की मृत्यु नावल्द हो गयी है। मात्र जमाबंदी रैयत प्रधान हाँसदा रहे एवं मध्यागन्तुक पक्षकार जमाबंदी रैयत प्रधान हाँसदा के पोता है और आर0ई0आर0 केश नं0–46/2012–13 में पक्षकार थे, जिसमें अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया

है तथा जमाबंदी रैयत के वारिश को जमीन वापस करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अपील आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजकर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–146/रा0 दिनांक–13.02.2020 से प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गंगटा खूर्द नं0–515 के जमाबंदी सं0–51, दाग नं0–1007 जमाबंदी रैयत देवान हाँसदा वो प्रधान हाँसदा वो सोमाय हाँसदा पेसरान रमका हाँसदा के नाम से गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है। प्रथम पक्ष पूजा गुप्ता, पिता–किशोरी प्रसाद भगत, वर्तमान हालवासी गंगटा खूर्द उक्त खाता के जमाबंदी रैयत देवान हाँसदा वगै0 के वंशक्रम में नही आते है। प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि उक्त खाता के खेसरा सं0–1007 के अंदर रकवा 00–05–00 धुर जमीन जमाबंदी रैयत के वंशज से कुर्फा/दान पत्र से प्राप्त है। जिस पर अपीलकर्त्ता का पक्का मकान एवं शौचालय निर्मित है। वादगत जमीन रैयती प्रकृति का है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 के तहत रैयती जमीन अहस्तान्तरणीय है, जिसमें संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

अभिलेखवद्ध कागजात, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गंगटा खूर्द नं0–515, जमाबंदी सं0–51 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में देवान हाँसदा वो प्रधान हाँसदा वो हमवाई हाँसदा पेसरान रमका हाँसदा कौम शौताल के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा वादगत जमाबंदी सं0–51 के दाग नं0–1007 के अंदर रकवा 00–05–00 धुर जमीन जमाबंदी रैयत के वंशज से वर्ष 1934–35 में कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है तथा उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि गोड्डा नगर परिषद द्वारा लगान लिया जा रहा है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो वादगत जमीन के संबंध में प्रतिकुल प्रभाव से दखल संबंधी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल किया गया है और न ही वादगत जमीन का लगान भुगतान संबंधी कोई साक्ष्य दाखिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता का दखल संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 के विपरीत है। क्योंकि गत सर्वे खतियान के अनुसार वादगत

आदिवासी की रैयती जमीन है एवं अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशक्रम में नहीं आते है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 का उलंघन का मामला है और ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–46/2013 में दिनांक–09.02.2016 को पारित आदेश नियमसंगत है। इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–46/2013 में दिनांक–09.02.2016 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

28/08/17

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:19:56 +05:30
Location: 192.168.29.32